डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 26/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20010/एमवाईटीपी/जेआईएएल-जयपुर/सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 26/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जयपुर (जेएआई) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2022 - 31.03.2027) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 11 मार्च, 2024

ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (जेआईए) ऐरा (संशोधन) अधिनियम, 2019 और 2021 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम, 2008 की धारा 2(i) में उल्लिखित परिभाषा के अनुसार वार्षिक यात्री थ्रूपुट मात्रा के आधार पर प्रमुख हवाईअड्डा है। इस हवाईअड्डे से वित्त वर्ष 2019-20 (महामारी से पूर्व के वर्ष) में यात्री आवागमन लगभग 5.03 एमपीपीए था। कोविड-19 महामारी के बाद वित्त वर्ष 2021-22 से हवाईअड्डे का यात्री यातायात लगातार बढ़ता गया और वित्त वर्ष 2022-23 में यात्री यातायात बढ़कर 4.76 एमपीपीए हो गया।

जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (जेआईए) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रचालित किया गया था, जिसने वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 50 वर्ष की अवधि के लिए हवाईअड्डे का प्रचालन, विकास, और प्रबंधन करने के लिए 19 जनवरी, 2021 को वर्तमान हवाईअड्डा प्रचालक (जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) के साथ रियायत करार किया था और सीओडी 11 अक्तूबर, 2021 थी। 01 अप्रैल, 2021 से 11 अक्तूबर, 2021 तक की अवधि पूर्व-सीओडी अवधि मान ली गई और सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि सीओडी के बाद की अवधि मान ली गई है। इस टैरिफ निर्धारण कार्य में चूंकि दो (02) हवाईअड्डा प्रचालक अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (द्वितीय नियंत्रण अवधि और सीओडी-पूर्व) और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीओडी के बाद और तृतीय नियंत्रण अवधि), सम्मिलित हैं, इसलिए इस परामर्श पत्र में स्पष्टता के लिए ऐरा ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए एएआई का और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि सहित सीओडी के बाद के लिए जेआईएएल का प्रयोग किया है।

जेआईएएल ने 15 अप्रैल, 2022 को प्राधिकरण से जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए नियंत्रण अवधि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। प्राधिकरण ने दिनांक 20 जून, 2022 की अपनी सार्वजनिक सूचना संख्या 05/2022-23 के माध्यम से निम्नलिखित निर्णय लिए :

- जयपुर हवाईअड्डे के लिए नियंत्रण अवधि 01.04.2021-31.03.2026 के स्थान पर 01.04.2022-31.03.2027 तक करना। नियंत्रण अवधि की कालावधि केवल पाँच वर्ष होगी।
- ऐरा नीति के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए टूअप को मानना।

रियायती करार के प्रावधानों के अनुसार एएआई और जेआईएएल ने अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

- द्वितीय नियंत्रण अवधि और 01 अप्रैल, 2021 से सीओडी तक की अवधि के लिए एएआई का टू-अप प्रस्ताव।
- वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ करने की तारीख (सीओडी) से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए जेआईएएल का टू-अप प्रस्ताव।
- जेआईएएल ने 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2027 तक की तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) पेश किया।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने एएआई द्वारा जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए और 01 अप्रैल, 2021 से सीओडी तक की अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से सीओडी) के लिए प्रस्तुत लेखा-परीक्षित आंकड़ों और जेआईएएल द्वारा सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक और 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के प्रस्तुत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण को मान लिया है।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में दोनों हवाईअड्डा प्रचालकों को सम्मिलित करने की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव पेश करने के लिए जारी किया है।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा हितधारकों के फीडबैक को गुणावगुण आधार पर ध्यान में रखकर वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नही किया जाएगा।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11 मार्च, 2024 के परामर्श पत्र संख्या 26/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, inderpal.s@aera.gov.in, प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in,

हितधारक परामर्श बैठक (वर्चुअल)	:	26 मार्च, 2024
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	10 अप्रैल, 2024
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	22 अप्रैल, 2024

हितधारकों की टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

15 *प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार*

अध्याय 4 : वित्त वर्ष 2017 से सीओडी तक की द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए एएआई का ट्रू-अप।

4.16.1 तालिका 25 के अनुसार 10 अक्तूबर, 2021 को माने गए 508.96 करोड़ रूपए के प्रारंभिक आरएबी को मानना।

4.16.2 तालिका 23 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए आरएबी के ट्रू-अप को मानना।

4.16.3 तालिका 22 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए मूल्यह्रास के ट्रू-अप को मानना।

4.16.4 पैरा 4.9 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए एफआरओआर के ट्रू-अप को मानना।

4.16.5 तालिका 32 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के ट्रू-अप को मानना।

4.16.6 तालिका 37 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

4.16.7 तालिका 39 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

4.16.8 तालिका 41 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए वैमानिक कराधान के ट्रू-अप को मानना।

4.16.9 तालिका 42 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए एआरआर के ट्र-अप को मानना।

4.16.10 तालिका 42 के अनुसार सीओडी से पूर्व की अवधि के लिए एएआई के ट्रू-अप के लिए 644.17 करोड़ रूपए की कम वसूली की वर्तमान निधि को मानना और इसे तृतीय नियंत्रण अवधि के एएआर में पुन: समायोजित करना।

4.16.11 भुगतान की वास्तविक तारीख के लिए जैसा भी उपयुक्त हो, तालिका 44 के अनुसार समायोजित समझे गए या पैरा 4.15.2 में दिए गए सूत्र के आधार पर प्रारंभिक आरएबी को मानना।

अध्याय 5: वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए जेआईएएल का ट्रू-अप।

5.13.1 तालिका 51 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कैपेक्स, मूल्यह्रास और आरएबी के ट्रू-अप को मानना।

5.13.2 तालिका 52 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए एफआरओआर के ट्रू-अप को मानना।

5.13.3 तालिका 59 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च के ट्रू-अप को मानना।

5.13.4 तालिका 61 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

5.13.5 तालिका 64 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कराधान के ट्रू-अप को मानना।

5.13.6 तालिका 63 के अनुसार सीओडी से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए वैमानिक राजस्व के ट्रू-अप को मानना।

5.13.7 तालिका 65 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का परिकलन करते समय मानी जाने वाली सीओडी के बाद की अवधि के लिए 32.97 करोड़ रूपए की कम वसूली को मानना।

अध्याय 6: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए यातायात परियोजनाएं

6.3.1 तालिका 76 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एटीएम, यात्री यातायात और कार्गो यातायात को मानना।

6.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय तृतीय नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (एटीएम, यात्री और कार्गो) को ट्रू-अप करना।

अध्याय 7: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

7.7.1 जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए परिसंपत्तियों के वैमानिक और गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों के बीच आबंटन संबंधी अध्ययन, आईएमजी मानदंडों के अनुरूप और अन्य समान हवाईअड्डों के लिए अनुमोदित किए अनुसार टर्मिनल भवन के 90:10 के संशोधित अनुपात को मानना।

7.7.2 पैरा 7.3.13 में उल्लेख किए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान आईडीसी की अनुमति देना और वित्तीयन भत्ते की अनुमति न देना।

7.7.3 तालिका 109 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक व्यय के पूंजीकरण को अंगीकार करना।

7.7.4 पैरा 7.3.12 में उल्लेख किए अनुसार यदि कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत नहीं होती है तो एआरआर से परियोजना की पूंजीकृत न की गई लागत की 1% राशि घटाना (समायोजित करना)। अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय इसकी जांच की जाएगी।

7.7.5 केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, **2017** के अध्याय **V** के अनुसार निवेश कर जमा राशियों के लेखांकन की जांच करना और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।

7.7.6 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत दक्षता और औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर वैमानिक पूंजीगत व्यय को टू-अप करना।

7.7.7 तालिका 113 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना ।

7.7.8 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान परिसंपत्तियों के वास्तविक परिवर्धन और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को टू-अप करना।

7.7.9 तालिका 116 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

7.7.10 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 8 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

8.3.1 सीएपीएम सूत्र के अनुसार 15.18% ईक्विटी की लागत को मानना

8.3.2 लक्षित लाभ प्राप्त करने के अनुपात के अनुरूप 48:52% काल्पनिक ऋण ईक्विटी (लाभ प्राप्त करने के) अनुपात को मानना।

8.3.3 तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 9% की ऋण की लागत को मानना।

8.3.4 ऊपर उल्लिखित ईक्विटी की लागत, ऋण की लागत और लाभ प्राप्त करने के अनुपात के आधार पर तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 12.21% की प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर) को मानना।

अध्याय 9 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

9.3.1 तालिका 124 के अनुसार डब्ल्यूपीआई मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 10 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

10.3.1 तालिका 155 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन खर्च, ईंधन प्रचालन खर्च और कार्गो प्रचालन खर्च सहित कुल वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि में टू-अप के समय औचित्य एवं कार्यक्षमता की शर्त पर तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान जेआईएएल द्वारा वहन किए गए कुल वास्तविक वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

10.3.3 हवाईअड्डे के प्रचालनों के आकार और मापदंड को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण को आशा है कि जेआईएएल ओ एंड एम खर्च दक्षतापूर्वक वहन करेगी।

अध्याय 11 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

11.3.1 तालिका 162 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए गैर-वैमानिक राजस्व को मानना।

11.3.2 यदि गैर वैमानिक राजस्व प्राधिकरण द्वारा तालिका 162 में प्रस्तावित राजस्व से कम हो तो अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के समय गैर-वैमानिक राजस्व का टू-अप नहीं किया जाएगा।

अध्याय 12: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

12.3.1 तालिका 164 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कराधान को मानना।

12.3.2 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय सभी संगत तथ्यों को उपयुक्त ढंग से ध्यान में रखकर वैमानिक कर की राशि को टू-अप करना।

अध्याय 13: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

13.3.1 जेआईए की सेवा की गुणवत्ता के संबंध में तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

13.5.2 जेआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सेवा की गुणवत्ता पूरी तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान रियायत करार में इंगित किए गए निष्पादन मानकों के अनुरूप है।

अध्याय 14 : तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

14.3.1 तालिका 167 के अनुसार जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और वाईपीपी को मानना।

14.3.2 जेआईएएल को यह निदेश देना कि वे वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) यह परामर्श पत्र जारी होने के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दें, इसे हितधारकों के परामर्श के लिए पेश किया जाएगा।

16 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

16.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 15–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

16.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 10 अप्रैल, 2024 तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)